कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री आर्म विनस्यस टेक प्रा0 लि0, बी-27, सेक्टर-64, नोएडा।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**29 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री राम कुमार द्विवेदी, फर्म डायरेक्टर।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-29 / 11, दिनांक 11.04.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **UPVC doors and windows (Unplastisized polyvinide chloride दरवाजे व खिड़कियों)** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री राम कुमार द्विवेदी, फर्म डायरेक्टर उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि उनकी फर्म डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-10, नोएडा में पंजीकृत है तथा बताया कि उनकी फैक्टरी भिवाड़ी, राजस्थान में है। वहाँ से वह स्टाक ट्रांसफर के माध्यम से माल नोएडा लाकर नोएडा में ही बिक्री की जाती है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा बेची जाने वाली खिड़की व दरवाजे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-87 के अन्तर्गत आती है। अत: उन पर 4% की दर से करदेयता होनी चाहिए।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-87 निम्नवत् है :-

87	Nuts, bolts, screws and fasteners that is to say – hinges, nails, rivets, cotter, cotter pins, staples, panel pins *(vide Noti.no.-KA.NI-2-102/XI-9(1)/08....dated 15-01-09 effective from 16-01-09)*; tel ki kuppi; files used by artisans (*vide Noti.no.-KA.NI-2-67/XI-9(1)/08....dated10-01-08 effective from 1-1-08)*; Coated and bonded abrasives, jointing materials; Fittings for doors, window and furniture including hinges-butt, piano, narrow, tee, parliament handles for locks, furniture handles, furniture knobs, drawer channel, furniture fitting, furniture hinges, furniture catchers; blue cut taks ,hob-nails, stars, studs, iron heels, bullock and horse shoes and nails; chains of all kinds ;all kinds of metal sections including slotted angles, shelves and accessories; rods, rails ,channels and curtain fittings; tower bolts, handles, aldrops, window stay, gate hook, door stopper, brackets, card clamp, clips, corners, washers, eyelets, hooks and eyes, hangers, hasps, pegs, pelmet fittings, sliding door fittings, stoppers, suspenders, springs, magic eyes, trolley wheels, pulleys and holdfasts; wire brushes. *(vide Noti.no.-KA.NI-2-102/XI-9(1)/08....dated 15-01-09 effective from 16-01-09)*

<u>सर्वश्री आर्म विनस्यस टेक प्रा0 लि0 / प्रा0 पत्र सं0-29 / 11 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

4. ज्वाइन्ट कमिश्नर, (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-बी, गौतम बुद्ध नगर के पत्रांक-120, दिनांक 11.05.11 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार फर्म दरवाजे, खिड़कियॉं व इनके फ्रेमों के निर्माण एवं खरीद-बिक्री का कार्य करती है । खिड़कियॉं व दरवाजे उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-87 में सम्मिलित नहीं हैं तथा संदर्भित वस्तुओं पर अवर्गीकृत वस्तुओं की भॉंति 12.5% की दर से कर दायित्व है ।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली आदि का परिशीलन किया गया । पाया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-87 में दरवाजे व खिड़कियॉं तथा फर्नीचर आदि की फिटिंग्स अंकित है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-87 में Unplastisized polyvinide chloride दरवाजे व खिड़कियॉं सम्मिलित नहीं हैं । Unplastisized polyvinide chloride दरवाजे व खिड़कियॉं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1, 2, 3 एवं 4 किसी में सम्मिलित नहीं हैं । अत: **UPVC doors and windows (Unplastisized polyvinide chloride दरवाजे व खिड़कियों)** पर, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत, अवर्गीकृत वस्तु की भॉंति 12.5% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 28 मई, 2011

ह0 / 28.05.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।